पत्रांक–2/नि०–14/2019– 1297(2)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

अनिल कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/
दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय।

पटना, दिनांक–11/07/2019

विषय :– **पी०जी० डिप्लोमा/डिग्री उत्तीर्ण छात्रों को राज्य में तीन वर्षों की अनिवार्य सेवा लिए जाने हेतु वांछित सूचना विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प सं०–450(1), दिनांक–15.04.2017 द्वारा राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों से पी०जी० उत्तीर्ण छात्रों को राज्य में तीन वर्षों की अनिवार्य सेवा देने का प्रावधान किया गया है।

2. अग्रेतर उक्त संबंध में यह भी स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि पी०जी० डिप्लोमाधारी छात्र सामान्य चिकित्सा अधिकारी के पद के विरूद्ध तथा पी०जी० डिग्रीधारी छात्र विशेषज्ञ चिकित्सा के पद के विरूद्ध विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में नियोजित किया जा सकेगा। इनके पारिश्रमिक का भुगतान विभागीय संकल्प संख्या–743(2), दिनांक–13.02.2019 के अनुसार अर्थात सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के लिए 65,000/– (पैंसठ हजार) रूपये तथा विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के लिए 82,000/– (बयासी हजार) रूपये प्रतिमाह के दर से किया जा सकेगा।

3. अनुरोध है कि अपने–अपने संस्थान से पी०जी० डिप्लोमा/डिग्री उत्तीर्ण छात्रों की सूचना विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ताकि राज्य में तीन वर्षों की अनिवार्य सेवा लिए जाने हेतु इनका संविदागत नियोजन किया जा सके। चूँकि इन छात्रों का प्रमाण–पत्र भी संबंधित महाविद्यालयों के पास ही सुरक्षित है, अतएव आपके द्वारा विहित प्रपत्र में भेजी गई सूचना को ही प्रमाणिक एवं अंतिम माना जाएगा। अतः सूचना भेजने से पहले यह सम्पुष्ट हो लेंगे कि आपके द्वारा भेजी जा रही सूचना त्रुटिरहित है। इसमे किसी भी त्रुटि के लिए आप जिम्मेवार माने जाएँगे।

अनु०–विहित प्रपत्र

विश्वासभाजन

11.7.2019

(अनिल कुमार)

ज्ञापांक–2/नि०–14/2019– 1297(2) **पटना, दिनांक–**11/07/**2019**

प्रतिलिपिः राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय से पी०जी० डिप्लोमा/डिग्री उत्तीर्ण सभी छात्रों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

11.7.2019

सरकार के संयुक्त सचिव

पी०जी० डिप्लोमा/डिग्री उत्तीर्ण छात्रों को राज्य में तीन वर्षो की अनिवार्य सेवा लिये जाने हेतु विहित प्रपत्रः–

फोटोग्राफ
(स्व अभिप्रमाणित)

1.	अभ्यर्थी का नाम	
2.	जन्म तिथि (DD/ MM/ YYYY)	
3.	मोबाईल नम्बर	
4.	अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम	
5.	आरक्षण कोटि	
6.	शैक्षणिक योग्यता (पी०जी० डिप्लोमा/डिग्री)	
7.	पी०जी० डिप्लोमा/डिग्री का विषय (Dicipline)	
8.	सत्र एवं उत्तीर्णता का वर्ष	
9.	गृह जिला	
10.	स्थायी पता	
11.	पत्राचार का पता	
12.	अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई अपराधिक वाद/न्यायिक वाद लंबित है अथवा नहीं	
13.	क्या अभ्यर्थी पूर्व से ही स्वास्थ्य विभाग के अर्न्तगत कार्यरत हैं, यदि हाँ तो तत्संबंधी विवरण।	
14.	क्या अभ्यर्थी के पति/पत्नी स्वास्थ्य विभाग के अर्न्तगत कार्यरत हैं, यदि हाँ तो तत्संबंधी विवरण।	

आवेदक का हस्ताक्षर

प्राचार्य का हस्ताक्षर

F:\New folder\Formating.docx-HRIS-Cell_OSD